न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 169/2025 बउनवानी लोकेश कुमार शर्मा **बनाम** तहसीलदार तलावडा
निवासी रामगढ मुराडा तहसील जिला तलावडा

Appeal Number- 321092517785415

GCMS No-2025/ 328

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
26.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 1.10.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***ग्राम रामगढ मुराडा के ख0न0 1141/1865 एवं 1142 स्थगन के नोट को लेकर कुल 4 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना*** " तहसीलदार तलावडा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार तलावडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसलीदार तलावडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: आरटीआई/25/412 दिनांक 27.10.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 1.10.2025 मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1 की सूचना (ख0न0 1141/1865, 1142 की सम्वत् 2071–2074 की जमाबन्दी की प्रति) तहसीलदार तलावडा द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/25/393 दिनांक 14.10.2025 से भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 2,3,4 की सूचना प्रश्नात्मक होने अथवा सृजित कर दिया जाना सम्भव नही होने के कारण दिया जाना सम्भव नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके सम्बंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण मे नियत दिनांक 12.11.2025 को न्यायालय मे उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर निवदेन किया कि चाही गयी सूचना तहसीलदार तलावडा द्वारा अभी तक अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी से धारा 20 के तहत स्पष्टीकरण तलब किया जावे एवं चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.10.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना तहसीलदार तलावडा द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है शेष बिन्दु संख्या 2,3,4, मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक/सृजनात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर